न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 138 / 2014

उनवान

1. अर्जुन पिता मोती जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुराजिला भीलवाडा मृतक के बजाय कायम मुकाम :—
   1 / 1 भॅवर लाल पिता अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
   1 / 2 गीता पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
   1 / 3 लाड पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
   1 / 4 सीमा पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
   1 / 5 सुशीला पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
   1 / 6 लाली पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
   1 / 7 श्रीमती घीसी पत्नि अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 22 / 2012निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6..2014
अधिवक्तागण :—

1. श्री एम एल सेन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादीने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमप्रस्तुत कर निवेदन किया किवादी की ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थित आराजी संख्या 310 रकबा 15 बिस्वा,
बर 1010/83 आवंटन होकर आवंटन वादी के
। जिसका नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक
–1992 को खोला जाकर फैसल किया गया ।
में इन्द्राज उक्त नामान्तरकरण का किया गया ।
मय भूमि पडत द्वितीय दर्ज रिकार्ड थी। वक्त आवंटन
दग्रस्त आराजी पर आज तक वादी का कब्जाकाश्त
आ रहा है। जिसके पडौस निम्न है :–

:– आम रास्ता
:– जगदीश पिता सुखदेव जाट
श्चिम :– मोडू पिता देबी धोबी
उत्तर :– सांवरा पिता रामचन्द्र माली
दक्षिण :– वर्तमान मे भी वादी वादग्रस्त आराजी पर काश्त कर
रहा है। जिसमें संवत 2064 में ज्वार, संवत 2065 में उडद
एवं 2067 में ज्वार काश्त की । मिलान क्षेत्रफल से साबिक
हाल नम्बरों का मिलान होता है। वादी द्वारा 136 एल आर
एक्ट के तहत पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था
जिसमें मांग की गई थी कि सेटलमेण्ट वालों ने उक्त रकबे
को गैर मुमकिन बाडा दर्ज कर दिया है। जिसे दुरूस्त कर
पडत द्वितीय में दर्ज किया जावे। साथ ही साथ वादी का
रकबा साबिक के मुकाबले भी हाल में बराबर रेकार्ड में दर्ज
है किन्तु भूमि की किस्म बदलकर गैर मुमकिन बाडा अंकन
कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का वादी अधिकारी
है। भू प्रबन्ध वालों ने आराजी नम्बर 310 पडत द्वितीय दर्ज
है उसकी किस्म को परिवर्तित कर दिया जिसका उन्हें कोई
अधिकार नहीं था।

अतः आराजी नम्बर 310 केनये नम्बर 1700/2710 रकबा
0–19 है0 जो वर्तमान में सेटलमेण्ट वालों ने गैर
मुमकिनबाडा दर्ज कर दिया जिसे बदल कर पडत द्वितीय
वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र खारिजकिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को पूर्ण रूप से साबित कराया है । जिसमें वादी ने अपने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 धारा 80 सी पी सी का नोटिस, प्रदर्श 2 प्राप्ति स्वीकृति, प्रदर्श 3 ढाल बांछ, ग्राम डोहरिया प्रदर्श 4 ढालबांछ, ग्राम डोहरिया संवत 2047 प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 6 नक्शा ट्रेश, प्रदर्श 7 ग्राम डोहरिया संवत 2037 से 2040 है, प्रदर्श 08 भूमि आवंटन की नकल, आवंटन आवेदन प्रदर्श 09, भूमि आवंटन पट्टा प्रदर्श 10, हाल नक्शा प्रदर्श 11, हाल जमाबंदी प्रदर्श 12, हाल जमाबंदी संवत 2064 लगायत 2067 ग्राम डोहरिया खसरा नम्बर 1700 / 2710 अर्जुन पिता मोती जाट के नाम पर गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है, प्रदर्श 13 खसरा नकलें संवत 2064 लगायत 2067, प्रदर्श 14 खसरा गिरदावरी संवत 2050 लगायत 2053, नामान्तरकरण की नकल प्रदर्श 15, लगान रसीद प्रदर्श 16,17, खसरा नकल संवत 2064 लगायत 2067 प्रदर्श 18, जमाबंदी ग्राम डोहरिया संवत 2037 लगायत 2040प्रदर्श 19 जिसमें खसरा नम्बर 310 में रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा पडत द्वितीय राजाधिराज सुदर्शन देव पिता उम्मेद सिंह साकिन

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

शाहपुरा दर्ज होकर इन्तकाल नम्बर 1196 से बिलानाम सरकार दर्ज हुई व साबिक आराजी नम्बर 310 रकबा 15 बिस्वा भूमि अर्जुन पिता मोती जाट के नाम पर दर्ज हुई, जिस पर बराबर व नियमित रूप से कब्जा अपीलार्थी / वादी का है तथा उक्त रेकार्डेड दस्तावेज से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व आवंटन पूर्ण रूप से साबित है, अतः वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के बावजूद वादी का कब्जा नहीं मानते हुए वाद पत्र को खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी वादी का वाद पत्र साक्ष्य, रेकार्ड, दस्तावेज से पूर्ण रूप से साबित है, मुख्य बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय की फाईण्डिंग में यह रहा है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन बाडा दर्ज है इसलिए खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इस बाबत अपीलार्थी का निवेदन है कि उक्त विवादित भूमि के साबिक आराजी नम्बर 310 थे जिसका भू प्रबन्ध होने के बाद नये नम्बर 1700 / 2710 रकबा 0.19 है0 कायम किये गये हैं। पुराने साबिक आराजी नम्बर 310 में उक्त भूमि की किस्म पडत दर्ज थी किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी कारण के उक्त भूमि के किस्म में परिवर्तन कर बाडा दर्ज कर दिया जबकि मौके पर बाडा भूमि नहीं होकर पडत है। भू प्रबन्ध विभाग को किस्म परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन करने की रेकार्ड में त्रुटि की है। जिसकी दुरूस्ती वाद के जरिये ही की जा सकती है। उक्त भूमि साबिक रेकार्ड के आधार पर पडत भूमि मानते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया जो कि पूर्ण रूप से विधिवत है जो स्वीकार किया जाना चाहिये था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेकार्ड व साक्ष्य की पूर्ण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जांच व तहकीकात किये बिना ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वाद पत्र में अंकित कथनानुसार साबिक आराजी नम्बर 310 पूर्व में बिलानाम पडत थी जो कि अपीलार्थी को विधिवत आवंटन होकर खाते में गैर खातेदारी अधिकार के रूप मे दर्ज हुई । अपीलार्थी को वर्ष 1983 में आवंटन हुआ जिसे 31 वर्ष हो चूके हैं व उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 2.6.1992 को राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुकी है किन्तु किस्म परिवर्तन करने से खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये जबकि उक्त भूमि को आवंटन हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, अतः वादी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं ग्राम डोहरिया की साबिक आराजी नम्बर 310 के वर्तमान आराजी नम्बर 1700/2710 रकबा 0.19 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेकार्ड में गैर मुमकिन बाडा की किस्म हटाई जाकर पडत दर्ज कराई जावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 310 रकबा 15 बिस्वा, मिसल नम्बर 1010/83 आवंटन होकर आवंटन वादी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम दर्ज हुआ । जिसका नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 02–06–1992 को खोला जाकर फैसल किया गया । जमाबंदी में इन्द्राज उक्त नामान्तरकरण का किया गया । उस समय भूमि पडत द्वितीय दर्ज रिकार्ड थी। सेटलमेण्ट वालों ने उक्त रकबे को गैर मुमकिन बाडा दर्ज कर दिया है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 8 भूमि आवंटन की नकल, प्रदर्श 9 आवंटन आवेदन एवं प्रदर्श 10 भूमि आवंटन पट्टा है। जिससे वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीगण के पिता को आवंटन होना प्रमाणित होता है।

9. अपीलार्थी का कथन है कि भू प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त आराजी की किस्म पडत से परिवर्तित कर बाडा दर्ज कर दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 3 व 4 ढाल बांछ ग्राम डोहरिया है। प्रदर्श 6 साबिक नक्शा ट्रेश होकर तरमीम नहीं किया गया । प्रदर्श 7 ग्राम डोहरिया जमाबंदी संवत 2037 से 2040 है। प्रदर्श 8 वादग्रस्त भूमि के आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश की नकल, , प्रदर्श 9 आवंटन आवेदन, प्रदर्श 10 भूमि आवंटन पट्टा , प्रदर्श 11 हाल नक्शा ट्रेश है। हाल जमाबंदी संवत 2064 से 2067 ग्राम डोहरिया जिसमें आराजी नम्बर 1700 / 2710 रकबा 0.19 है गैर मुमकिन बाडा अर्जुन पिता मोती जाट साकिन देह दर्ज है। प्रदर्श 13 खसरा नकल संवत 2067 से 2070 है । प्रदर्श 14 खसरा गिरदावरी संवत 2050 से 2053 है। नामान्तरकरण नकल प्रदर्श 15 है। प्रदर्श 19 जमाबंदी ग्राम डोहरिया संवत 2037 से 2040 है जिसमें खसरा नम्बर 310 मी रकबा 18 बीघा 12 बिस्व पडत द्वितीय राजाधिराज सुदर्शन देव जी पिता उम्मेद सिंह जी साकिन शाहपुरा दर्ज होकर इन्तकाल नम्बर 1196 / 8.9.83 से आराजी किता 15 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा बिलानाम सरकार दर्ज करने की स्वीकृति है। 310

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मीन रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा नामान्तरकरण संख्या 77 / 2. 6.92 से भू0प्र0से आवंटन से आराजी नम्बर 310 रकबा 15 बिस्वा अर्जुन पिता मोती जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई । मुताबिक खसरा चौसाला संवत 2034 से 2036 पडत दर्ज है, 2037 में बंजड दर्ज है। उक्त अवधि में काश्त दर्ज नहीं है। संवत 2038, 2039, 2040, 2041 खसरा संलग्न नहीं है। संवत 2042, 2043, 2045 में काश्त दर्ज है किन्तु संवत 2044 में काश्त दर्ज नहीं है। संवत 2046 से संवत 2049 तक का खसरा संलग्न नहीं है। संवत 2061 में किस्म बाडा दर्ज है किन्तु काश्त नहीं की है। संवत 2062 से 2065, 2067, 2068–2069 में काश्त की गई है किन्तु किस्म दर्ज नहीं है। संवत 2066 से संवत 2070 में काश्त नहीं की गई है। संवत 2070 में किस्म गैर मुमकिन बाडा दर्ज है। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा समय पर काश्त नहीं की गई है। आवंटन शर्तो की पालना भी आवंटी द्वारा नहीं की गई है। भू प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त आराजी पर यदि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा काश्त की जाती तो निश्चित ही भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसी अनुरूप अंकन किया जाता । यदि वक्त आवंटन भूमि पडत होती तो भी भू प्रबन्ध विभाग भूमि की किस्म पडत अंकन करते । चूंकि अपीलार्थीगण के पिता को वादग्रस्त भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ था एवं वक्त भू प्रबन्ध वादग्रस्त भूमि बाडे के रूप में उपयोग में आ रही थी इसलिए भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि की किस्म बाडा अंकन किया गया है। वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थीगण के पिता को आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ सशर्त हुंआ था । अपीलार्थीगण का कथन है कि भूमि की किस्म पडत थी इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अपीलार्थीगण के पिता ने आवंटन के उपरान्त भूमि नियत शर्तो की पालना में कृषि कार्य नहीं किया था। अपीलार्थीगण द्वारा आवंटन के

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त नियत शर्तो की पालना में काश्त की हो इस प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटन शर्तो की पालना में अपीलार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त की गई हो एवं आवंटन उपरान्त वादग्रस्त आराजी बाडे के रूप में काम में नही आ रही थी इस बिन्दु को साबित करने का भार अपीलार्थीगण/अपीलार्थीगण के पिता(आवंटी) पर था जो वे पर्याप्त साक्ष्य से साबित नहीं करा पाये हैं। अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी उद्घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।अतः अपीलाण्ट को आवंटन आदेश की पालना में निरन्तर सद्भाविक काश्तकार होना साबित होने पर गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार साबित होने पर ही खातेदारी उद्घोषणा दी जा सकती है परन्तु अपीलाण्ट/आवण्टी सद्भाविक काश्तकार होना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत से साबित नहीं होता हैं। बल्कि अपीलाण्ट द्वारा स्वयं यह माना गया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन कर भूमि को गेर खातेदारी में ही किस्म बाड़ा दर्ज कर दिया गया है। इससे प्रकट होता है कि भूमि का उपयोग काश्त हेतु नहीं किया जाकर बाड़े हेतु किया जा रहा है। जिससे अपीलाण्ट/आवण्टी के सद्भाविक काश्तकार नहीं होने की पुष्टि होती है। ऐसे में मेरा विनम्र अभिमत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य , दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त जो गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 2.6.2014 को यथावत रखा जाता हैं। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस
अपील संख्या आर टी ए/138/2014

उनवान

1. अर्जुन पिता मोती जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय कायम मुकाम :-
1/1 भॅवर लाल पिता अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
1/2 गीता पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
1/3 लाड पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
1/4 सीमा पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
1/5 सुशीला पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
1/6 लाली पुत्री अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा
1/7 श्रीमती घीसी पत्नि अर्जुन जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 22/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6..2014
अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/138/2014मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा**के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-
अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 को यथावत रखा जाता हैं।इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

27/8/17

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा